बिहार सरकार

<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</u>

सं०सं०–03 / आ०वि० (विविध)–02–09 / 2015 - 6957

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 17.12.16

विषयः–**अनु० जाति एवं अनु० जनजाति विद्यालयों एवं छात्रावासों में आपूर्त्ति किये गये आवश्यक सामग्रियों के लंबित विपत्रों की राशि के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–664 दिनांक–03.04.2014, विभागीय पत्रांक–1729 दिनांक–28.08.2014 एवं विभागीय पत्रांक–308 दिनांक–29.01.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष–2013–14 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में आवश्यक सामग्रियों का क्रय मुख्यालय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर दर निर्धारित करते हुए सामग्रियों की आपूर्त्ति संबंधित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में करने एवं इसका भुगतान मुख्यालय स्तर से करने का निर्णय लिया गया था।

2. विभागीय निदेश के आलोक में प्रमण्डलीय उप निदेशक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा सामग्रियों के लिए समर्पित अधियाचना के अनुरूप आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सामग्रियों की आपूर्त्ति कर भुगतान हेतु विपत्र एवं प्राप्ति रसीद मुख्यालय में समर्पित किए गए।

3. लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों के क्रम में समीक्षा से दृष्टिगोचर हुआ कि उक्त आपूर्त्ति परिस्थितिजन्य प्रक्रियात्मक विचनल के अधीन थी। विभागीय समीक्षा एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में लंबित आपूरित सामग्रियों के भुगतान की देयता बनती है। अतएव सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता हैः–

(i) मुख्याल्य स्तर पर विभिन्न आपूर्त्तिकत्ताओं द्वारा समर्पित विपत्रों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को मूल रूप में भेजा जाये।

(ii) विभाग के स्तर पर समर्पित विपत्र, जिसे बिहार महादलित विकास मिशन को भेजा गया था एवं जिसका भुगतान बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा नहीं किया गया है, वैसे विपत्रों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी को अविलम्ब भेजा जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी जाँचोपरांत संतुष्ट होने के पश्चात् नये सिरे से विपत्र पारित कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iii) संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्रों की शुद्धता, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा Quantity का सत्यापन कर अविलम्ब भुगतान की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) समर्पित विपत्रों का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु सामग्री एवं पूर्त्तियाँ मद में आवंटित राशि से करेंगे।

4. विभागीय पत्रांक–4323 दिनांक–7.06.2016 द्वारा आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सामग्रियों की आपूर्त्ति के संबंध में दिये गये दिशा–निदेश का अक्षरशः पालन का दायित्व सभी जिला कल्याण पदाधिकारी का होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव में माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 17/12/16
निदेशक।

ज्ञापांकः–03 / आ0वि0 (विविध)–02–09 / 2015 6257 पटना, दिनांक– 17.12.16

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी प्रधानाध्यापक, राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 17/12/16

ज्ञापांकः–03 / आ0वि0 (विविध)–02–09 / 2015 6257 पटना, दिनांक– 17.12.16

प्रतिलिपिः–परियोजना निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 17/12/16

ज्ञापांकः–03 / आ0वि0 (विविध)–02–09 / 2015 6257 पटना, दिनांक– 17.12.16

प्रतिलिपिः–मे0 विजय स्टील फर्नीचर, कोलकाता / पटना / मे0 आर्मी एण्ड सिविल स्टोर, पटना / मे0 वेराइटी व्यापार प्रा0 लि0 कोलकाता / पटना / मे0 श्रीदुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, पटना / मे0 के0 डी0 इन्टरप्राइजेज, पटना / मे0 बाबा वैद्यनाथ ट्रेडर्स, फारबिसगंज, अररिया / मे0 श्री गणेश, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 17/12/16